



2026:AHC: 128435

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19597/2026

इन्द्र कुमार कर्माकर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: गौरव श्रीवास्तव, राजेश कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 46

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव श्रीवास्तव, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एचडीएफसी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रोचक सिंगला को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना सूरजपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर में मुकदमा अपराध संख्या 694 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) और आई.टी. अधिनियम की धारा 66-डी के अंतर्गत जमानत मांगने के लिए दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. एफ.आई.आर. में किए गए अभिकथन कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े एक कथित संगठित अंतरराज्यीय ऋण धोखाधड़ी का खुलासा करते हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, फर्जी प्रोफाइल और मनगढ़ंत अभिलेख के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए जाली पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का उपयोग किया गया था। एफ.आई.आर. एक बड़े अभियान को संदर्भित करती है जिसमें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी वाले लेनदेन और कई पहचान दस्तावेजों, बैंक-संबंधित लिखतों, ऋण फाइलों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी शामिल है। वर्तमान कार्यवाहियां एचडीएफसी बैंक के विरुद्ध की गई कथित धोखाधड़ी के संबंध में प्रस्तुत आरोप-पत्र से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें कथित तौर पर जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर लगभग 4.8 करोड़ रुपये का आवास ऋण प्राप्त किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का निरोध और रिमांड संविधान और बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत गारंटीकृत सुरक्षा उपायों के अनुरूप नहीं थे। अभियोजन पक्ष के मामले का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि आवेदक को 03.12.2025 को लगभग शाम 6:00 बजे पकड़ा गया था, कथित तौर पर घटना 04.12.2025 को लगभग दोपहर 3:00 बजे घटित हुई थी और एफ.आई.आर. 05.12.2025 को सुबह 3:31 बजे दर्ज की गई। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं के उचित अनुपालन के बिना अनुमेय अवधि से अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा, जिससे निरोध बी.एन.एस.एस. की धारा 58 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन हुआ।

5. यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक केवल एक कर्मचारी था और कंपनी के प्रकरणों या अभियोजन पक्ष के प्रकरण की विषय-वस्तु बनाने वाले कथित लेनदेन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। विवेचना के दौरान कथित तौर पर बरामद किए गए किसी भी दस्तावेज

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को उसके व्यक्तिगत कब्जे से बरामद नहीं किया गया था और यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं लाई गई है कि उसने बरामद दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या उस अधिष्ठान के मामलों पर नियंत्रण किया था, जहाँ से ऐसी बरामदगी प्रभावी होने का आरोप है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कथित ऋण राशि का कोई भी हिस्सा आवेदक के खाते में जमा नहीं किया गया था और उसने कथित लेनदेन से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया।

6. विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि कथित अपराधों के घटक प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध नहीं बनते हैं और किसी भी जाली दस्तावेज को तैयार करने या उपयोग करने में उसकी सक्रिय संलिप्तता स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और अब न्यायिक अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि एचडीएफसी बैंक के एक कर्मचारी, सह-अभियुक्त शुभम सक्सेना को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 6874 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 05.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है, विचारण में सहयोग करने का वचन देता है और, आरोप-पत्र में उद्धृत गवाहों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, निकट भविष्य में विचारण के संपन्न होने की संभावना नहीं है।

7. इसके विपरीत, एचडीएफसी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा कौशांबी, गाजियाबाद स्थित कार्यालय परिसर में चलाए गए एक अभियान के दौरान पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान, कई दस्तावेज, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और अन्य दोष मढ़ने वाली सामग्री कथित तौर पर बरामद की गई थी। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त परिसर से अन्य व्यक्तियों से संबंधित बड़ी संख्या में पहचान दस्तावेजों के साथ आवेदक का अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया गया था। यह भी इंगित किया गया है कि छापे के दौरान आवेदक की तस्वीर वाला लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के विवरण वाला एक अन्य आधार कार्ड भी बरामद किया गया था। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विवेचना के दौरान एकत्र किए गए कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आवेदक और सह-अभियुक्तों के बीच टेलीफोनिक संपर्क का खुलासा करते हैं, जिससे कथित साजिश के साथ उसके सक्रिय जुड़ाव का संकेत मिलता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री प्रथम दृष्टया विचाराधीन ऋण प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों की तैयारी और उपयोग में आवेदक की संलिप्तता का सुझाव देती है। इसके अतिरिक्त, एक सह-अभियुक्त के खाते से आवेदक के खाते में 2.5 लाख रुपये की राशि स्थानांतरित होने की बात कही गई है। उपरोक्त सामग्री के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि आवेदक कथित अपराधों के कारित करने में एक सक्रिय भागीदार था और इसलिए, जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

8. इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया।

9. निस्संदेह, आवेदक के विरुद्ध किए गए अभिकथन गंभीर प्रकृति के हैं और कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े एक कथित संगठित अंतरराज्यीय ऋण धोखाधड़ी से उत्पन्न हुए हैं। वर्तमान कार्यवाहियां लगभग 4.8 करोड़ रुपये के आवास ऋण से जुड़े एचडीएफसी बैंक के विरुद्ध की गई कथित धोखाधड़ी के संबंध में प्रस्तुत आरोप-पत्र से संबंधित हैं। अभियोजन पक्ष की सामग्री विवेचना के दौरान बड़ी संख्या में पहचान दस्तावेजों, बैंक-संबंधित लिखतों और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी को संदर्भित करती है, जिसमें कथित तौर पर आवेदक से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं। विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री सह-अभियुक्तों के साथ संपर्क का संकेत देने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, एक सह-अभियुक्त के खाते से आवेदक के खाते में धन के हस्तांतरण और विचाराधीन ऋण लेनदेन से संबंधित जाली दस्तावेजों को तैयार करने और उपयोग करने में आवेदक की कथित संलिप्तता को भी संदर्भित करती है।

10. इस स्तर पर, प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ध्यान देने योग्य है कि विवेचना संपन्न हो चुकी है और आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियोजन पक्ष का प्रकरण काफी हद तक दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर आधारित है, जो अब अभिलेख का हिस्सा है। अभियोजन पक्ष द्वारा निर्भर की जाने वाली प्रमुख सामग्री विवेचना के दौरान पहले ही एकत्र की जा चुकी है। आवेदक 05.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है और, अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत गवाहों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, निकट भविष्य में विचारण के संपन्न होने की संभावना नहीं है।

11. जहाँ तक आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्तों का संबंध है, वर्तमान वाद के अलावा, उसके विरुद्ध दिखाया गया एकमात्र अन्य वाद एचडीएफसी बैंक द्वारा दर्ज की गई एक एफ.आई.आर. है जो उसी लेनदेन की श्रृंखला से उत्पन्न हुई है। अभिलेख पर कोई अन्य आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं लाया गया है। यह भी विवादित नहीं है कि सह-अभियुक्त शुभम सक्सेना को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है और ऐसी कोई विशिष्ट परिस्थिति इंगित नहीं की गई है, जो आवेदक को समरूपता का दावा करने से वंचित करे।

12. इस न्यायालय ने आवेदक की ओर से उसकी गिरफ्तारी, निरोध और रिमांड की परिस्थितियों के संबंध में उठाए गए तर्क पर भी ध्यान दिया है। हालांकि, उक्त तर्क के गुण-दोष पर कोई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राय व्यक्त किए बिना, इसे उचित स्तर पर परीक्षण किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

13. आरोपों की प्रकृति, आवेदक द्वारा व्यतीत की गई कारावास की अवधि, विवेचना के पूरा होने, साक्ष्य की दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति, यह इंगित करने वाली किसी भी सामग्री की अनुपस्थिति कि आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को प्रभावित करने की संभावना रखता है और समरूपता के दावे को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत देने का मामला बना लिया है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. पूर्वोक्त मकुदमा अपराध में शामिल आवेदक इन्द्र कुमार कर्माकर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि में दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/न ही धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब विचारण न्यायालय में साक्षी उपस्थित हों।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(v) आवेदक निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित होकर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

19 जून, 2026

राकेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”